कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 21(8)2024–25/विकास/प्रमुवसं/ दिनांक

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के बजट आवंटन समसंख्यक आदेश क्रमांक 2267–88 दिनांक 20.05.2024 के द्वारा लेखा मद 4406–02–112–01–01–16–लधु निर्माण कार्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 266 (सामान्य वाद विवाद घोषण संख्या 40) एवं वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा संख्या 120 की अनुपालना में आवंटित बजट के क्रम में मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव,उदयपुर के पत्रांक 2016 दिनांक 04.06.2024 द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार उप वन संरक्षक,वन्यजीव,राजसमन्द से समर्पित राशि रू. 75.77 का समर्पण स्वीकार कर, मुख्य वन संरक्षक,भरतपुर के पत्रांक 27 दिनांक 01.01.2025 से प्राप्त प्रस्तावानुसार उप वन संरक्षक,भरतपुर को निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता हैः–

मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	कार्य का विवरण	आवंटित राशि (रू.लाखो में)
मुख्य वन संरक्षक भरतपुर	उप वन संरक्षक, भरतपुर	पूंछडी का लौठा राधा वन वाटिका विकास व वृक्षारोपण कार्य हेतु	61.40

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करायेः–

1. उक्त आंवटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
2. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
3. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन **(Procurement)** एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
4. वन विकास कायो को यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

ह०

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 21(8)2024–25/विकास/प्रमुवसं/ 7786–92 दिनांक 02.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,राजस्थान,जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक,भरतपुर/वन्यजीव,उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग , जयपुर
4. उप वन संरक्षक, भरतपुर/वन्यजीव,राजसमन्द।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलित शाखा (सांखियकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(सेडूराम/यादव)
मुख्य वन संरक्षक,(आयोजना)
राजस्थान,जयपुर

IA
DCF(FT)
व. 482149
7/1/25